



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी०एस०आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फेक्स-0771-2282530, 2285595 ई-मेल: ro.raipur.ibm@gmail.com

उल्लंघन पत्र  
रजि.ए.डी.

No- CHG/SRG/BX-8/RPR

खान कोड - 07CHG16005

दिनांक - 24/08/2018

प्रेषित प्रबंधक संचालक  
सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,  
(छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)  
सोना खान भवन, रिंग रोड नं. - 01,  
ग्राम - पुरेना, पोस्ट - रविग्राम, रायपुर,  
छत्तीसगढ़ 492 006

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपकी बरिमा बॉक्साइट खान (Barima Bauxite Mine) 4.304 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-  
महोदय,  
आपकी उपरोक्त खान के कार्यालय रिकॉर्ड की दिनांक 23/08/2018 को जांच करने पर पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
45 (5) (b)	खान की माह अप्रैल 2015-16 से मासिक विवरणीयां अब तक ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणीयां की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणीयां संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर <a href="http://www.ibm.gov.in">www.ibm.gov.in</a> पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
45 (5) (c)	खान की वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 की वार्षिक विवरणीयां ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणीयां की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणीयां <a href="http://www.ibm.gov.in">www.ibm.gov.in</a> पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत  
(क) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर के दास)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि:-

- खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

